प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नयी दिल्ली

पत्रांक/शिविर/ /2012–13 दिनाक 16/1/2013

विषय : विद्या वाहिनी एम0जी0 मार्ग, बगल के0पी0इण्टर कालेज इलाहाबाद को सी0 बी0 एस0 ई0 नयी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान अकृष्ट करते हुए शासनादेश संख्या 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति की संस्तुति दिनांक 29.12.2012 के आधार पर उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0नयी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्वद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नयी दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नयी दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्द्धता प्राप्त होने की तिथि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगीं।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के विना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
10. सी0बी0एस0ई0 नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता से युक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।

F:\PRSHAK\Presk 2011-12.doc

Principal
VIDYA VAHINI
M.G. Marg, Prayagraj

Vidya Vahini
Manager

11. सी0बी0एस0ई0नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की सेवा नियमावली का पालन किया जायेगा।

12. छात्र/छात्राओं से वही शुल्क लिया जायेगा जिन मदों में शुल्क अनुमन्य है।

13. शिक्षण कक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय/कार्यालय कक्ष मानक के अनुरूप ही रखे जायं।

14. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार बाहुल्य नहीं रखा जायेगा।

15. विद्यालय द्वारा ग्राम समाज की भूमि यथा पनघट, गोचर, तालाब, खलिहान का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा तथा संस्था के कर्मचारियों को जो राज्य सरकार से जो कम वेतन दिया जा रहा उसे पूर्ण किया जाय,।

यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ओ0पी0द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या/शिविर/ 11422-28 /2012–13 उसीतिथि को

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0, शिविर कार्यालय 18 पार्करोड, लखनऊ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्धक, विद्या वाहिनी एम0जी0 मार्ग, बगल के0पी0इण्टर कालेज इलाहाबाद ।
6. कार्यालय गार्ड पत्रावली।

(ओ0पी0द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

Principal
VIDYA VAHINI
M.G. Marg, Prayagraj

Vidya Vahini
Manager

F:\PRSHAK\Presk 2011-12.doc